# राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

## माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

**फाइल संख्या - . NCBC/DO/2019/90-VC**

**सुनवाई की तिथि – 16/07/2020**

***

श्री चन्द्रशेखर प्रजापति पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल प्रजापति, नि0 34-कबीरगंज, इटावा के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में दिनांक 16.07.2020 समय 14:00 बजे सुनवाई नियत की गयी |

**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-**

1. श्री लोकेश कुमार प्रजापति,माननीय उपाध्यक्ष महोदय
2. श्री संदीप कुमार,निजी सचिव मा0 उपाध्यक्ष
3. श्री जे. रविशंकर,अवर सचिव
4. राजुल रायकवार,अनुसंधान अधिकारी
5. राजशी पटवारी,अनुसंधान अन्वेषक

**आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण :-**

1. प्रमुख सचिव, आबकारी
2. जिलाधिकारी, इटावा
3. जिला आबकारी अधिकारी, इटावा
4. शिकायतकर्ता

**उपस्थित पक्षगण :-**

1. श्री चन्द्र शेखर प्रजापति, शिकायतकर्ता
2. श्री दयाराम प्रजापति

**उपस्थित अधिकारीगण :-**

1. श्री राजेश मणि त्रिपाठी, संयुक्त आयुक्त, आबकारी, मेरठ
2. श्री आर.एस. पाठक, संयुक्त आयुक्त, आबकारी, आगरा
3. श्री कमल कुमार शुक्ल, जिला आबकारी अधिकारी

**संलग्न :-**

1. श्री चन्द्र शेखर प्रजापति द्वारा प्रेषित विवरण सहित शिकायत पत्र |

**सुनवाई / जाँच का विवरण :-**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मे उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक 14-08-2019 को श्री चंद्रशेखर प्रजापति पुत्र स्व० श्री छोटेलाल प्रजापति निवासी 34, कबीरगंज इटावा उत्तर प्रदेश का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ। जिसके संबंध मे पत्र क्रमांक D.O. No. NCBC/DO/2019/90-VC दिनाँक 19-08-2019 द्वारा प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी, इटावा एवं जिला आबकारी अधिकारी, इटावा को इस संबंध मे कार्यवाही कर उसकी आख्या आयोग मे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था । इस सम्बन्ध मे आख्या प्राप्त ना होने पर एक अनुस्मारक पत्र दिनाँक 20-09-2019 को उपर्युक्त समस्त अधिकारी को भेजा गया था। इसके पश्चात जिला आबकारी अधिकारी, इटावा द्वारा एक आख्या आयोग को प्रस्तुत की गयी । इसके पश्चात प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा एक आख्या पत्र संख्या 2352 ई-2/तेरह-2019-413/87 दिनाँक 29 नवम्बर,2019 का प्राप्त हुआ। इसके पश्चात संदर्भित प्रकरण में दिनाँक 16-07-2020 को सुनवाई नियत की गयी । सुनवाई हेतु प्रमुख सचिव, आबकारी,उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी, इटावा एवं जिला आबकारी अधिकारी, इटावा एवं शिकायतकर्ता मय अभिलेख आयोग के समक्ष उपस्थित होना अपेक्षित किया गया ।

**आवेदक श्री चन्द्र शेखर द्वारा लगाये गए आरोप:-**

उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति एवं शाररिक रूप से विकलांग है | आबकारी विभाग द्वारा 42,74,550/- रूपये बकाया निकालकर किये जा रहे उत्पीडन के सम्बन्ध में शिकायती पत्र देते हुए न्याय कि मांग की | शिकायती पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद इटावा के शहर इटावा के मोहल्ला रामगंज की देशी शराव की दुकान के ठेके के लिए अखबार में प्रकाषित विज्ञापन के आधार पर चन्द्रशेखर प्रजापति ने लाटरी में पर्ची डाली थी। पर्ची डालने से पहले चन्द्रशेखर प्रजापति से आबकारी अधिकारी इटावा द्वारा 51300/- रु0 धरोहर धन राषि के रुप में जमा कराई थी लेकिन लाटरी एक ही पर्ची थी चन्द्रशेखर प्रजापति की क्यों कि जो लोग पहले से शराब की दुकान चला रहे थे वह सब लाटरी द्वारा दुकान आवंटन के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट द्वारा किए थे जिस पर माननीय उच्च न्यायालय बने लाटरी द्वारा चयनित दुकानों पर रोक लगा दी थी जिसके उपरान्त आबकारी अधिकारी इटावा द्वारा चन्द्रशेखर प्रजापति को माननीय उच्च न्यायालय के आदेषों के अनुपालन में दुकान चलाने से मौखिक रुप से मना कर दिया था और फिर आबकारी अधिकारी ने चन्द्रशेखर प्रजापति से डे टू डे प्रतिदिन के आधार पर दुकान चलाने को कहा लेकिन चन्द्रशेखर प्रजापति को मोहल्ला रामगंज में किसी ने भी शराब की दुकान के लिए कोई दुकान/या मकान किराए पर नही दी पुराने ठेकेदार द्वारा दुकान जिस मकान में चलाई जा रही थी वह उस ठेकेदार ने नही लेने दी उसमें उसी का सामान भरा हुआ था मजबूर होकर चन्द्रशेखर प्रजापति ने घर के बाहर दुकान में ही दुकान चलानी शुरू कर दिया और आबकारी अधिकारी इटावा ने बताया कि चन्द्रशेखर प्रजापति ने मात्र 10 ही दुकान चलाई कोटा कम उठाने के कारण आबकारी अधिकारी श्री हरजीत सिंह जी ने चन्द्रशेखर प्रजापति की धरोहर धन राषि रु0 51300/ जब्त करके मात्र रु0 3446.50/ पैसा बकाया निकाल कर मौखिक रुप से बताया कि आप दुकान नही चला सकते हो क्यो कि पुराना ठेकेदार मोहल्ला रामगंज में ही नम्बर दो की शराब बेच रहा था जिसके बारे में आबकारी अधिकारी श्री हरजीत सिंह

ने रामगंज में गलत तरीके से नम्बर दो में दुकान चलने का विरोध किया तो श्री हरजीत सिंह आबकारी अधिकारी का शराब माफियाओं ने स्थानान्तरण करवा दिया और उसके बाद श्री राधाकान्त तिवारी आबकारी अधिकारी की तैनाती जनपद इटावा में हो गई। श्री राधाकान्त तिवारी ने पूरे वर्ष 2002-03 में मोहल्ला रामगंज में फर्जी तरीके से नम्बर दो मे दुकान चलवाई और पूरे वर्ष दुकान चलने के उपरान्त वर्ष 2002-03 समाप्त होने के बाद दिनांक 09-07-2002 को पूरे वर्ष का बकाया लाइसैंस फीस एवं प्रतिफल फीस निकालकर वसूली निकाल दी | इसी दौरान बर्ष 2002-03 में जिलाधिकारी महोदय इटावा ने चन्द्रशेखर प्रजापति की दुकान का आवंटन दिनांक 14-08-2002 को निरस्त कर दिया था उसके बाद तीन बार अखबार में विज्ञापन दिया लेकिन कोई भी शराब के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया क्योंकि जिन्होने माननीय उच्च न्यायालय में रिट की थी वही लोग आबकारी अधिकारी श्री राधाकान्त तिवारी के रहमो करम पर दुकान रामगंज की नम्बर दो में चला रहे थे और चन्द्रशेखर आश्वस्त थे कि दुकान रामगंज मे चल रही है और चन्द्रशेखर पर मात्र 3446.50/ रु0 बाकी थे जो जमा करने थे। तो चन्द्रशेखर नें भी शिकायत इस लिए नही की थी कि चन्द्रशेखर ने श्री राधाकान्त तिवारी को प्रार्थना पत्र दिया था कि अब मुझे दुकान नही चलानी है अपना रु0 3446.50 जमा कर लो तो उन्होने रुपये तीन हजार पांच सो रुपया और मेरा प्रार्थना पत्र ले लिया था | जिससे इन परस्थितियो में उक्त प्रकरण की सी.बी.आई से जाँच करा ली जाए | यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आबकारी अधिकारी ने अभी आपके समक्ष विशेष सचिव आबकारी श्री इश्वर प्रसाद पाण्डे के द्वारा दिनांक 27-01-2020 को जारी आदेश की प्रति आपके समक्ष प्रस्तुत की है इस आदेश की प्रति मुझको नहीं उपलब्ध कराई गई और माननीय न्यायालय जाने का 90 दिन का समय भी निकाल दिया | यह सब भी साजिश के तहत हुआ है। क्योकि विशेष सचिव श्री इश्वर प्रसाद पाण्डे जी ने आयोग मे प्रकरण देने के पश्चात नाराज होकर मुझको पुलिस की दम पर जबरन लखनऊ ले गये | जहाँ विशेष सचिव श्री इश्वर प्रसाद पाण्डे ने मुझको धमकाया और सुनवाई करके आदेश रिर्जव कर लिया और माननीय आयोग में दौराने सुनवाई आदेश पारित कर दिया जो आज तक मुझको प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस पूरे प्रकरण की जाँच सी.बी.आई से कराकर विशेष सचिव श्री इश्वर प्रसाद पाण्डे के आदेश दिनांक 27-01-2020 को निस्स्त करके न्याय दिलाने की कृपा करे। मेरे लिखित बयान के साथ श्री किशन सिंह अटोरिया पूर्व प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा दिनांक 14-3-2011 को माननीय संसदीय एवं सदभाव समिति की बैठक मे दिये गये जबाव की प्रति भी संलग्न है।

**सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:-**

**शिकायतकर्ता, श्री दायराम प्रजापति भाई श्री चंद्रशेखर प्रजापति:**

आयोग में अपने प्रकरण के बारे में बताना चाहता हूं कि मामला 2002-03 का है प्रार्थी सरकार ने लॉटरी सिस्टम बनाकर देशी शराब के ठेके आवंटित किए थे और जिसमे चंद्रशेखर प्रजापति ने एप्लीकेशन भेजा था उसके पश्चात चंद्रशेखर का नाम लॉटरी में आ गया था। तीन दिन के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस पर स्टे लगा दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी, इटावा द्वारा बतया गया कि आप हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें और उनके द्वारा कहा गया की आप दैनिक व्यवस्था के माध्यम से दुकान चला सकते है। दैनिक व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने 10 दिन तक दुकान चलाई और 10 दिन दुकान चलाने के बाद प्रार्थी पर रिकवरी

निकाली गई, जिसके लिए उनके द्वारा जमा की गयी रु 51,300/- को जब्त कर रु 3,446/- आबकारी बकया निकाल दिया।

इसके पश्चात 15-07-2002 को नोटिस आया की अगर आप दुकान चलाना चाहे तो चला सकते हैं परंतु चंद्रशेखर ने पूरे वर्ष दुकान नहीं चलाई। जब पूरे वर्ष चंद्रशेखर प्रजापति ने दुकान नहीं चलाई तो किस बिनाह पर वह रिकवरी निकाल रहे हैं? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्होंने जब प्रकरण 20-09-2019 से आयोग में लंबित है ,उसके बाद यह बैक डेट में 07-01-2019 का नोटिस आयोग में सुनवाई से पूर्व हमें दे देते है। सुनवाई से पूर्व यह हमे बताते है के आप के खिलाफ आदेश हो गए है इस नोटिस में । जिसके बारे में हमें कोई नोटिस नहीं कराया गया तथा इसमें दिया गया प्रार्थी को समय भी निकल चुका है ,रा चलायी गईदुकान किसी अन्य द्वा |जिसने भी एक वर्ष तक दुकान को अवैध रूप से चलाई है वहीं अधिकारियों से मिला हुआ है उसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए।

आयोग में मामला लंबित है और सुनवाई चल रही थी उसके पश्चात भी अधिकारियों द्वारा साजिश के तहत इन्होंने बैक डेट में मामला खारिज कर दिया और इसके बारे में आयोग को या हमें कोई जानकारी भी प्रदान नहीं की गयी । इसकी भी जाँच करवाई जानी चाहिए।

**संयुक्त आबकारी आयुक्त,श्री राजेश त्रिपाठी:**

यह जिस बिंदु के बारे में जिक्र कर रहे हैं उसका उल्लेख आयोग में प्रस्तुत आख्या में किया गया है।

**जिला आबकारी अधिकारी, इटावा, श्री कमाल कुमार शुक्ल :**

वर्ष 2002 में लॉटरी द्वारा आवंटन सरकार द्वारा घोषित किया गया था परंतु 2001 और 2002 के आवेदकों ने नया आवंटन के खिलाफ एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में दायर कर दिया। उन आवेदकों से कहा गया था कि यदि आप अपना लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं परंतु वह लोग न्यायालय में अपनी बात से मुकर गए। 26 मार्च को लॉटरी करा कर आवंटन किए गए परंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस पर अगले आदेश तक स्टे लगा दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने तक नए आवेदकों को दैनिक व्यवस्था के माध्यम से दुकान चलाने दिया जाता है। श्री चंद्रशेखर प्रजापति द्वारा 20 अप्रैल, 2002 से 10 दिन तक दुकान चलाई जाती है। 10 दिन बाद इन पर रिकवरी इसलिए निकली गयी थी क्योंकि इन्होने जो कोटा तय किया गया था उसको पूरा नही किया था। इनके द्वारा जमा किए हुए रु 51,300/- को जब्त कर रु 3446/- आबकारी बकया निकाल दिया था।

दिनांक 5 जुलाई 2002 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश मे यह कहा जाता है की सरकार का लॉटरी द्वारा आवंटन का आदेश सही है। नए आवेदकों को दिनाँक 20 जुलाई 2002 के एक नोटिस द्वारा यह बताया गया की वह लाइसेंस शुल्क जमा करा के दुकान चला सकते है।

श्री चंद्रशेखर प्रजापति द्वारा एक वर्ष तक दुकान नहीं चलायी गई और ना ही लाइसेंस शुल्क जमा कराया गया ,इसलिए इनके खिलाफ रिकवरी निकली गयी थी।

**माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति :**

दिनांक 14 अगस्त, 2002 को जिलाधिकारी, इटावा के द्वारा इनका आवंटन निरस्त कर दिया गया था। श्री चंद्रशेखर प्रजापति द्वारा मार्च, 2002 से अगस्त, 2002 तक दैनिक व्यवस्था के माध्यम से दुकान चलाई गई । 5 जुलाई, 2002 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश करने से पहले ही आपने रिकवरी का नोटिस जारी करके आपने पैसे जब्त कर लिए। जुलाई 2003 में आपके आधिकारी द्वारा रिकवरी निकाल दी जाती है जबकि 14 अगस्त 2002 में श्री चंद्रशेखर प्रजापति के आवंटन को जिलाधिकारी, इटावा द्वारा निरस्त किया जा चुका था तो किस आधार पर यह रिकवरी निकलाई गयी थी ?

**जिला आबकारी अधिकारी, इटावा,श्री कमाल कुमार शुक्ल :**
अगर वह आवंटन दुकान नहीं चलाते हैं तो उन्हें दुकान के लाइसेंस का समर्पण करना होता है।

**माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:**
जब जिलाधिकारी, इटावा द्वारा आवंटन निरस्त किया जा चुका था तब समर्पण कि प्रक्रिया कैसे हो सकती है।

**जिला आबकारी अधिकारी, इटावा, श्री कमाल कुमार शुक्ल :**
धारा 36 में लिखा है की समर्पण करना होता है।

**माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:**
आपके धारा 36 में लिखा है कि जिस आवेदक को लाइसेंस दिया गया है वह ही समर्पण करेगा। क्या उस समय दुकान निरस्त करने की प्रक्रिया हो चुकी थी ,जब उनको पहला रिकवरी का नोटिस प्रदान किया गया था?

**संयुक्त आबकारी आयुक्त,श्री राजेश त्रिपाठी:**
महोदय, दैनिक व्यवस्था के माध्यम से दुकान चला सकते है यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही दिया गया था माननीय उच्च न्यायलय द्वारा ही पूरी प्रक्रिया पर रोक लगयी गयी थी।

**माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:**
क्या आपके पास ऐसी कोई अधिसूचना है जिसमे यह लिखा हो कि बिना लाइसेंस शुल्क जमा किये अथवा औपचारिकताये पूर्ण किये बिना आवंटन किया जा सकता है।

**जिला आबकारी अधिकारी, इटावा,श्री कमाल कुमार शुक्ल:**
आवंटन किया जा सकता है परंतु वह दुकान नहीं चला सकते है।

**माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:**
जब चंद्रशेखर प्रजापति का लाइसेंस जिलाधिकारी, इटावा द्वारा निरस्त कर दिया गया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक साल तक दुकान चला रहे थे। मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या बिना लाइसेंस शुल्क और डॉक्यूमेंट औपचारिकताये पूर्ण किये आवंटन किया जा सकता है?

**जिला आबकारी अधिकारी, इटावा,श्री कमाल कुमार शुक्ल:**
आवेदक को 3 दिन का समय दिया जाता है। इस समय के भीतर उनको अपना डॉक्यूमेंट और लाइसेंस शुल्क जमा करना होता है।

**माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:**
जब आवेदन निरस्त नहीं हुआ था तो आपने दोबारा अखबार में विज्ञापन केसे दे दिया था। क्या ऐसा कोई नियम है जिसे में यह लिखा हुआ है कि जिलाधिकारी द्वारा निरस्त किए हुए आवंटन में समर्पण करना आवश्यक है। उस आवंटन में आप रिकवरी निकाल रहे है जो निरस्त किया जा चुका है। जो नए आवेदक है उसकी क्या गलती है जिस का जिलाधिकारी, इटावा द्वारा उसका आवंटन निरस्त किया जा चुका था और फिर रिकवरी निकाल दी गयी और

बाद में एक साल का रिकवरी का आदेश दे दिया जाता है। अगली सुनवाई में प्रमुख सचिव सचिव को बुलाया जाए।

**संयुक्त आबकारी आयुक्त, श्री राजेश त्रिपाठी:**
महोदय, पूरे साल की रिकवरी बनती है। आवंटन के तुरंत बाद लाइसेंस शुल्क जमा किया जाता है।

**जिला आबकारी अधिकारी, इटावा,श्री कमाल कुमार शुक्ल:**
श्री चंद्रशेखर प्रजापति का आवंटन 26 मार्च, 2002 में लॉटरी के माध्यम से हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामला में 31 मार्च ,2002 को स्टे का आदेश दिया गया था और 5 जुलाई, 2002 में माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के फ़ैसला को सही मानते हुए अपना आदेश दिया था। श्री चंद्रशेखर प्रजापति का आवंटन 14 अगस्त, 2002 में जिलाधिकारी, इटावा द्वारा निरस्त किया गया था।

**माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:**
रिवीजन पेंडिंग चल रही है यह आप ने आयोग से छुपाया है एवं इसके पश्चात रिकवरी के आदेश दे दिये। अगर मामला आयोग में पेंडिंग है तो क्या यह बात आपने शासन के समक्ष नहीं रखी थी? आपने कोविड-19 की महामारी में रिकवरी जारी कर दी । डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ,आवेदक को न्यायिक सुरक्षा नही मिल सकती ,लागु है 2005 | आवेदक अपना पक्ष नहीं रख सकते थ लॉकडाउन में घर से नही निकल सकतेजबकी माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा यह आदेश दिया गया था कि आप इस समय रिकवरी ना जारी करे अपितु उनको सहायता प्रदान करे |आप एफ़िडेविट पर सारी जानकारी प्रदान करे।

**शिकायतकर्ता,श्री चंद्रशेखर प्रजापति:**
यह जो लॉटरी प्रणाली है यह ही गलत है। एक से अधिक आवेदन आए तो लॉटरी होती है परंतु जब एक ही आवेदन आए तो लॉटरी ही नहीं कराना चाहिए।

**माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:**
लॉटरी का आधार क्या था?

**संयुक्त आबकारी आयुक्त,श्री राजेश त्रिपाठी :**
मोहदाय, लॉटरी इसलिए की जाती है ताकि सारे आवेदकों को समान मौका मिल सके।

**शिकायतकर्ता ,श्रीदायराम प्रजापति भाई श्री चंद्रशेखर प्रजापति:**
अपने कहा कि हमने लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा शुल्क जमा नहीं किया है परंतु इसके लिए आपके द्वारा कोई भी नोटिस नही भेजा गया था ।

**माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:**
जब कोई आवेदक लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा शुल्क जमा नहीं करते है क्या उसको नोटिस द्वारा नही बतया जाता है की उसको यह शुल्क जमा करना है। यदि चयनित आवेदक नियम के अनुसार पूरी कार्रवाई नहीं करता हैं तो उनका आवंटन निरस्त कर देने का नियम है तो क्या श्री चंद्रशेखर प्रजापति का आवंटन निरस्त किया गया था या नहीं और इसे निरस्त करने का अधिकार किस के पास है?

**संयुक्त आबकारी आयुक्त,श्री राजेश त्रिपाठी:**
आवंटन निरस्त करने का अधिकार लाइसेंस अधिकारी के पास है। जिलाधिकारी आवंटन निरस्त कर सकता है।

**माननीय उपाध्यक्ष,श्री लोकेश कुमार प्रजापति:**
जो रिकवरी का पत्र दिया गया था वो किस डेट को दिया गया था?

**शिकायतकर्ता, श्रीदायराम प्रजापति भाई श्री चंद्रशेखर प्रजापति :**
5 जुलाई, 2002 में दिया गया था यह पत्र।

**माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:**
5 जुलाई 2002 को माननीय उच्च न्यायालय आदेश देता है और आप 5 जुलाई 2002 में ही इन पर रिकवरी निकाल देते हैं यह किस नीति के तहत निकाली गई रिकवरी है। 40-45 दिन के बाद जिलाधिकारी, इटावा के द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी क्या वह दुकान के स्वामी बने रहते हैं? उन्हें कैसे पूरा समर्पण करना होता है?

**संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा ज़ोन, आर:पाठक .एस.**
दैनिक व्यवस्था में एक कोटा निश्चित होता है परंतु इन्होंने वह कोटा पूरा नहीं किया था इसलिए इन पर रिकवरी निकाली गई थी। यह केवल 10 दिन की रिकवरी थी।

**माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:**
5 जुलाई, 2002 को पत्र दिया गया था और 20 अगस्त, 2002 में यह जिलाधिकारी, इटावा द्वारा निरस्त किया गया था। दोनो पत्र के बीच का समय 45 दिन का है उतने दिन की रिकवरी बनती है । आवंटन निरस्त करने के बाद भी क्या श्री चंद्रशेखर प्रजापति ही दुकान के स्वामी बने रहते है।

**संयुक्त आबकारी आयुक्त,श्री राजेश त्रिपाठी:**
महोदय, आप अगली डेट दे सुनवाई की हम पूरी जानकारी लेकर आयोग में उपस्थित होंगे।

**<u>तथ्य एवं निष्कर्ष:-</u>**

उपरोक्त प्रकरण में अन्य समतुल्य मामलो के अवलोकन करने पर एवं परीक्षणोंपरांत आयोग को निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए :-

1. उत्तर प्रदेश शासन के आबकारी अनुभाग-23 के पत्रांक संख्या 3331ई-2/तेरह-2003-13 (रिविजन)/2003 लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 2003 पुनरीक्षण याचिका संख्या -13(रिवीजन)/2003 अमरेन्द्र कुमार सिंह, इलाहाबाद बनाम आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद व अन्य के निस्तारण के क्रम में प्रमुख सचिव श्री रवि माथुर द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष/निर्णय दिया गया |

   *"लाइसेंस प्राधिकारी कि हैसियत से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया उपरोक्त आदेश कि याची उक्त दुकान को चलाने के लिए चयनित होने के कारण सम्पूर्ण वर्ष के लाइसेंस फीस व*

*प्रतिभूति धनराशी देने के लिए बाध्य है, उचित नहीं है, क्योंकि जब तक दुकान चलाने के लिए याची के साथ कोई अनुबंध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्पादित नहीं किया जाता है, तब तक वह उस दुकान में निहित सम्पूर्ण वर्ष के आबकारी राजस्व की देयता के लिए बाध्य नहीं। याची के साथ दुकान चलाने के लिए कोई अनुबंध सम्पादित नहीं हुआ है, क्योंकि याची ने न तो बेसिक लाइसेंस फीस जमा की थी और न ही प्रतिभूति धनराशी। याची से केवल दैनिक लाइसेंस फीस के आधार पर दुकान चलवाई गयी है। इस कारण याची पर सैदाबाद स्थित देशी शराब कि दुकान में निहित आबकारी राजस्व की देयता उसके द्वारा दैनिक व्यवस्थापन के अंतर्गत चलायी गयी तिथि तक बनती है। अतः याची से केवल दैनिक व्यवस्थापन के अंतर्गत चलायी गयी तिथि तक देय आबकारी राजस्व की वसूली की जाये। चूँकि याची आबकारी दुकान को चलाने में विफल रहा और इससे आबकारी राजस्व की हानि हुई है, इस कारण याची को भविष्य में किसी भी प्रकार के आबकारी लाइसेंस पाने के लिए ब्लैकलिस्ट करते हुए विवर्जित किया जाता है।"*

2. उत्तर प्रदेश शासन के आबकारी अनुभाग-23 के पत्रांक संख्या 3333ई-2/तेरह-2003-8 (रिविजन)/2003 लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 2003 पुनरीक्षण याचिका संख्या -8(रिवीजन)/2003 मनीष त्रिपाठी, इलाहाबाद बनाम आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद व अन्य के निस्तारण के क्रम में प्रमुख सचिव श्री रवि माथुर द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष/निर्णय दिया गया।

*"लाइसेंस प्राधिकारी कि हैसियत से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया उपरोक्त आदेश कि याची उक्त दुकान को चलाने के लिए चयनित होने के कारण सम्पूर्ण वर्ष के लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशी देने के लिए बाध्य है, उचित नहीं है, क्योंकि जब तक दुकान चलाने के लिए याची के साथ कोई अनुबंध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्पादित नहीं किया जाता है, तब तक वह उस दुकान में निहित सम्पूर्ण वर्ष के आबकारी राजस्व की देयता के लिए बाध्य नहीं। याची के साथ दुकान चलाने के लिए कोई अनुबंध सम्पादित नहीं हुआ है, क्योंकि याची ने न तो बेसिक लाइसेंस फीस जमा की थी और न ही प्रतिभूति धनराशी। याची से केवल दैनिक लाइसेंस फीस के आधार पर दुकान चलवाई गयी है। इस कारण याची सदियापुर स्थित देशी शराब कि दुकान में दिनांक 14 जुलाई 2002 (दुकान चलाने की तिथि) तक निहित आबकारी राजस्व की देयता के लिए बाध्य है। अतः याची से केवल 14 जुलाई 2002 तक देय आबकारी राजस्व की वसूली की जाये। चूँकि याची आबकारी दुकान को चलाने में विफल रहा है और इससे आबकारी राजस्व की हानि हुई है, इस कारण याची को भविष्य में किसी भी प्रकार के आबकारी लाइसेंस पाने के लिए ब्लैकलिस्ट करते हुए विवर्जित किया जाता है।"*

3. समक्ष – अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औधोगिक विकास) उत्तर प्रदेश अपील संख्या -79/2002 (अंतर्गत धारा -11(1)यू0पी0 एक्साइज एक्ट, 1910) जनपद कानपुर नगर, सांवर मल पुत्र श्री बजरंग लाल बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/कानपुर नगर व अन्य के निस्तारण के क्रम में श्री आर0पी0 सक्सेना, अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औधोगिक विकास) द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष/निर्णय दिया गया।

*"उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनो का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के अधीन जो देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों के सम्बन्ध में अनुज्ञापन दिए जाते है, वे साविधिक संविदा के अंतर्गत होते है जिनके प्रस्ताव व स्वीकृति सम्बन्धी भारतीय संविधान अधिनियम के प्रावधानों से नियंत्रित होते है | प्रस्ताव के स्वीकृत किये जाने तथा इस स्वीकृति की प्रस्तावक को सूचना दिए जाने के पश्चात ही कोई संविदा पूर्ण हो सकती है | किसी दुकान के अनुज्ञापन प्रदान करने के लिए बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस के प्रतिफल के आधार पर और साविधिक शर्तो के अधीन 2002 की उक्त नियमावली के नियम -7 के अधीन प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है जो प्रस्ताव के आमंत्रण के रूप में होते है | इस मामले में उक्त दुकान का अनुज्ञापन प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गए थे | अपीलार्थी के अतिरिक्त और भी इस दुकान के अनुज्ञापन के लिए आवेदक थे | 2002 की उक्त नियमावली में अनुज्ञापन के चयन के लिए भी जहाँ एक या उससे अधिक आवेदक हो वहां लौटरी प्रणाली द्वरा चयन की व्यवस्था दी गयी है | यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि चयन समिति द्वारा किसी आवेदक को चयन किया जाना, उसके प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह समिति जिसमे आबकारी विभाग के अधिकारियो के अतिरिक्त अन्य सदस्य रहते है, का कार्य अनुज्ञापन के लिए एक व्यक्ति के चयन तक ही सीमित नहीं है | 2002 के नियमो के अधीन अनुज्ञापन के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार लाइसेंस प्राधिकारी का होता है और उसी को ही प्रस्ताव की स्वीकृति को चयनित व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार होता है | "*

*इसी क्रम में अन्य पैराग्राफ -*

*"इस प्रकार इस मामले में 2002 की नियमावली के अधीन अपीलार्थी के अनुज्ञापन के लिए चयनित किये जाने के अतिरिक्त अपीलार्थी के प्रस्ताव को स्वीकार करने तथा प्रस्ताव की स्वीकृति की अपीलार्थी को सूचना देने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी और इस प्रकार अपीलार्थी व लाइसेंस प्राधिकारी के मध्य संविदा का पूर्ण होना नहीं कहा जा सकता | 2002 की नियमावली के नियम -12 व अन्य में जो आवश्यक कार्यवाही निहित है वह भी इस मामले में नहीं की गयी है | इस प्रकार जब उक्त दुकान के वर्ष 2002-03 के अनुज्ञापन के लिए पक्षकारो के मध्य कोई संविदा पूर्ण नहीं हुई है तो अपीलार्थी से किसी ऐसी संविदा के आभाव में पूरे वर्ष की बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस की मांग या वसूली नहीं की जा सकती | इस प्रकार इन विधिक आधारो पर स्वतंत्र रूप से विचार करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 31.05.2002 के बाद की अवधि की लाइसेंस फीस व बेसिक लाइसेंस फीस की देयता नहीं बनती है और दिनांक 31.05.2002 के बाद की अवधि का लाइसेंस फीस व बेसिक लाइसेंस के लिए मांग पत्र विधिक रूप से सही व उचित नहीं है | "*

*इसी क्रम में अन्य पैराग्राफ -*

*"ऐसे मामलो में उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनो के व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के नियम -19 या उ0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा -36 प्राविधान नहीं लागू हो सकते और उक्त कानूनी प्राविधान स्थायी रूप से व्यवस्थापन के फलस्वरूप दिए गये अनुज्ञापन के सम्बन्ध में लागु हो सकते है।"*

उपरोक्त प्रकरण में प्राप्त तथ्यों/ साक्ष्यो के परीक्षणोंपरांत एवं उत्तर प्रदेश शासन तथा अपर आबकारी आयुक्त के समतुल्य मामलो के निष्कर्ष के आलोक में आयोग को यह प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायलय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.04.2002 के प्रकाश में दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुज्ञापन की अंतरिम व्यवस्था के अधीन 10 दिवसों तक दुकान का सञ्चालन अपीलार्थी द्वारा किया गया और दिनांक 05-07-2002 को याचिका संख्या 504/2002 के ख़ारिज होने के बाद स्थायी व्यवस्थापन के सम्बन्ध में पक्षकारो के मध्य कोई एक पक्षीय या द्विपक्षीय कार्यवाही नहीं की गयी | ऐसे मामलो में उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनो के व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के नियम-19 या उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा -36 के प्राविधान नहीं लागू हो सकते और उक्त कानूनी प्राविधान स्थायी रूप से व्यवस्थापन के फ़लस्वरूप दिए गए अनुज्ञापन के सम्बन्ध में लागू हो सकते है |

श्री चंद्रशेखर का जो केस है, उसी प्रकार का केस अमरेन्द्र कुमार सिंह, इलाहाबाद बनाम आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद व अन्य (दिनांक 12 नवम्बर, 2003 पुनरीक्षण याचिका संख्या -13(रिवीजन)/2003), मनीष त्रिपाठी, इलाहाबाद बनाम आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद व अन्य (दिनांक 12 नवम्बर, 2003 पुनरीक्षण याचिका संख्या -8(रिवीजन)/2003) अथवा सांवर मल पुत्र श्री बजरंग लाल बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/कानपुर नगर व अन्य का भी है और उसमे भी जो भी अवधारित किया गया है वह श्री चंद्रशेखर के मामले में दी गयी अवधारणा के सामान ही है | उक्त सम्बन्ध में मोहल्ला रामगंज स्थित देशी शराब कि दुकान वर्ष 2002-03 के लिए श्री चन्द्रशेखर जो उक्त दुकान के लिए चयनित हुए थे, के द्वारा न तो बेसिक लाइसेंस फीस जमा की गयी और न ही प्रतिभूति धनराशी जमा की गयी | आवेदक श्री चंद्रशेखर के चयनित किये जाने के बाद उसके द्वारा वर्ष 2002-03 के अनुज्ञापन के लिए कोई संविदा पूर्ण नहीं की गयी है | उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनो का व्यवस्थापन) नियमावली -2002 के अधीन जो देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों के सम्बन्ध में अनुज्ञापन दिए जाते है वह सांविधिक संविदा के अंतर्गत होते है जिनके प्रस्ताव व स्वीकृति सम्बन्धी भारतीय संविधान अधिनियम के प्राविधानो से नियंत्रित होते है | प्रस्ताव के स्वीकृत किये जाने तथा इसकी स्वीकृति की प्रस्तावक को सूचना दिए जाने के बाद ही कोई संविदा पूर्ण हो सकती है | चयन समिति द्वारा किसी आवेदक को चयन किया जाना, उसके प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह समिति जिसमे आबकारी विभाग के अधिकारियो के अतिरिक्त अन्य सदस्य रहते हो, का कार्य अनुज्ञापन के लिए एक व्यक्ति के चयन तक ही सीमित नहीं है |

इस प्रकार इन विधिक आधारो पर स्वतंत्र रूप से विचार करने पर आवेदक श्री चन्द्रशेखर के विरुद्ध प्रेषित बकाया देयता नहीं बनती है तथा इसके लिए आबकारी अधिकारी द्वारा इटावा द्वारा जारी मांग पत्र 101/दे0य0/फुटकर बिक्री/बकाया/इटावा/ दिनांक 9-7-2003 विधिक रूप से सही व उचित नहीं है। उपरोक्त निगरानी एवं वादों में पारित आदेशो के समतुल्य आयोग द्वारा यह अपेक्षित किया जाता है कि उपरोक्त मांग पत्र दिनांक 9-7-03 को निरस्त किया जाये। चूँकि आवेदक श्री चन्द्रशेखर आबकारी दुकान को चलाने में विफल रहा है और उससे राजस्व हानि हुई है, इस कारण आवेदक को भविष्य में किसी भी प्रकार के आबकारी लाइसेंस पाने के लिए ब्लैक लिस्ट करते हुए विवर्जित किया जाये। उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए, आख्या 15 दिवसों में आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

**प्रतिलिपि :**

1. श्री चन्द्र शेखर प्रजापति, जनपद इटावा
2. प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, इटावा।
4. जिला आबकारी अधिकारी, इटावा।
5. तहसीलदार सदर जनपद इटावा।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(जे. रविशंकर)
अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(संदीप कुमार)
aनिजी सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग